उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–16/2009–10

बीरेन्द्र पहाड़िया

बनाम्

सुमित्रा पहाड़िन वगैरह

–: आदेश :–

दिनांक 15.04.21

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता बीरेन्द्र पहाड़िया, पे0–स्व0 पोंडिका मैसा पहाड़िया, सा0–तलबड़िया, थाना–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के पी0ए0 केश नं0–135/07–08 आदेश दिनांक–26.12.2009 के आदेश के विरूद्ध अपील आवेदन दाखिल किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने पी0ए0 केश नं0–135/07–08 आदेश दिनांक–26.12.2009 के द्वारा उत्तरवादी सुमित्रा पहाड़िन को मौजा–तलबड़िया का प्रधान नियुक्त किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–तलबड़िया के गत प्रधान धर्मा पहाड़िया थे। धर्मा पहाड़िया अपने पीछे एक पुत्र चाँदो पहाड़िया को छोड़कर फौत कर गये। चाँदो पहाड़िया को एक पुत्र धर्मा पहाड़िया हुए। धर्मा पहाड़िया को एक मात्र पुत्री मेदिया पहाड़िन हुए। मेदिया पहाड़िन की शादी घरजावाँय पद्धति से लखासी पहाड़िया से हुई। मेदिया पहाड़िन को तीन पुत्र क्रमशः लालमोहन पहाड़िया, बिनोद पहाड़िया एवं मैसा पहाड़िया हुए जो जीवित है। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी प्रथम पक्ष सुमित्रा पहाड़िन अंतिम नियुक्त प्रधान के कोई नहीं है। सुमित्रा पहाड़िन पारे धर्मा पहाड़िया के वंशज है। पारे धर्मा पहाड़िया को एक पुत्री सुमित्रा पहाड़िन हुए। सुमित्रा पहाड़िन की शादी सुरेन्द्र पहाड़िया ग्राम–बड़ाकोला, थाना–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा के साथ हुई है। जिसकी दूरी तलबड़िया ग्राम से लगभग 10 मील है। उनका आगे कथन है कि पहाड़िया रिवाज के अनुसार जिनका चयन मौजा के रैयतों द्वारा सर्व सहमति से की जाती है, वही मौजा का प्रधान होता है। मौजा–तलबड़िया के रैयतों द्वारा दिनांक–14.10.2007 को सभा आयोजित करके अपीलकर्त्ता को मौजा–तलबड़िया का प्रधान के रूप में चयन किया गया है और अपीलकर्त्ता प्रधान के रूप में कार्य करते थे। सुमित्रा पहाड़िन गत प्रधान के वंश में भी नहीं

आती है। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के दिनांक–30.08.2007 के प्रतिवेदन में धर्मा पहाड़िया के वंशज में सुमित्रा पहाड़िया को नहीं दर्शाया गया। लेकिन वाद में अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा तथ्यों को छिपाकर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया एवं उसी जाँच प्रतिवेदन के आधार पर उत्तरवादी प्रथम पक्ष को गैर कानूनी तरीके से मौजा–तलवड़िया का प्रधान नियुक्त किया गया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय का पारित नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को खारिज करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी प्रथम पक्ष सुमित्रा पहाड़िन के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, निम्न न्यायालय ने स्पष्ट रूप से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के प्रावधान का पालन करते हुए अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर उत्तरवादी प्रथम पक्ष को न्याय संगत तरीके से मौजा–तलवड़िया का प्रधान नियुक्त किया गया है तथा उत्तरवादी मौजा का प्रधान वहाल होने के वाद सूचारू रूप से मौजा का प्रधानी कार्य कर रही है। उनका आगे कहन है कि उत्तरवादी सुमित्रा पहाड़िन गत प्रधान के वंशज है एवं जाँच प्रतिवेदन में भी स्पष्ट रूप से आया है कि धर्मा पहाड़िया मौजा–तलवड़िया के प्रधान थे तथा उनकी मृत्यु के वाद उनका भतीजा पारे धर्मा पहाड़िया पे0–गणे मैसा पहाड़िया द्वारा कार्यकारी प्रधान के रूप में कार्य करते थे तथा उनकी मृत्यु के वाद उत्तरवादी सुमित्रा पहाड़िन ही कार्यकारी प्रधान के रूप में कार्य करती थी। जाँच प्रतिवेदन जो अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा समर्पित किया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सुमित्रा पहाड़िन प्रधान की पुत्री है तथा पुत्र संतान नहीं होने के कारण उनकी पुत्री ही कानूनी रूप से जमीन पर हकदार एवं दखलकार है तथा जाँच प्रतिवेदन में यह भी आया है कि सुमित्रा पहाड़िन दोनों जगह रहती है। उनका ससूराल मात्र 5–6 कि0मी0 की दूरी पर है। जवकि सुमित्रा पहाड़िन का निवास अपने पिता के घर पर ही है तथा शादी के वाद भी अपने पिता के घर में ही रहती है। पहाड़िया समाज में पुत्री का ही पूर्ण हक होता है। उसकी शादी घर जावाँय के रूप में होना कोई जरूरी नहीं है। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी सुमित्रा पहाड़िन की नियुक्ति वंशानुगत आधार पर हुई है एवं प्रधान का कोई भी वंशज प्रधानी पद के लिए दावा नहीं किया है तथा जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से आया है कि अपीलकर्त्ता वीरेन्द्र पहाड़िया प्रधान के वंश का कोई नहीं है। जहाँतक रैयत का समर्थन का दावा है। जाँच प्रतिवेदन में आया है कि सुमित्रा पहाड़िन के समर्थन में 61 रैयत हैं, जवकि वीरेन्द्र पहाड़िया के समर्थन में मात्र 47 रैयत

है। इस प्रकार प्रधान की नियुक्ति में मौजा रैयतों का पूर्ण समर्थन उत्तरवादी के पक्ष में है। उनका आगे कथन है कि सौलह आना रैयतों को नोटिश भी किया था, परंतु अपीलकर्त्ता को छोड़कर किसी के द्वारा भी आपत्ति नहीं दिया है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–579/रा0 दिनांक–04.12.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–तलबड़िया थाना नं0–60 के जमाबंदी नं0–07 कुल रकवा–43–18–06 धुर भूमि रैयत–धरमा पहाड़िया प्रधान वल्द चान्दु पहाड़िया वो गने मैसा पहाड़िया वो दरमा पहाड़िया पेशरान–मगहू पहाड़िया कौम–पहाड़िया शा0 देह प्रधान का जोत कहकर विगत सर्वे खतियान में दर्ज है। जमाबंदी नं0–07 के रैयतों से संबंधित वंशवृक्ष निम्न प्रकार बताया गया :–

<u>जमाबंदी रैयत</u>–धरमा पहाड़िया प्रधान(मृत)
↓
चान्दू पहाड़िया(मृत)
↓
धरमा पहाड़िया(मृत)
↓
पुत्री मदिया पहाड़िन पति–स्व0 लाखन पहाड़िया
↓
लाल मोहन पहाड़िया(मृत) | विनोद पहाड़िया(जी0) | सुकुमार पहाड़िया(जी0)
↓
सेलिना मालतो(पत्नी) | मेरी मालतो(पत्नी)(जी0)
↓
विनोद पहाड़िया(जी0)

<u>जमाबंदी रैयत</u>– गने मैशा पहाड़िया(मृत)
↓
पारे धरमा पहाड़िया(मृत)
↓
गांगी पहाड़िन (वि0 पुत्री) (जी0) | लालमुनी पहाड़िन (वि0 पुत्री) (जी0) | सुमित्रा पहाड़िन (वि0 पुत्री) (वर्तमान नियुक्त प्रधान)

<u>जमाबंदी रैयत</u>–दरमा पहाड़िया
↓
मंगली पहाड़िन(मृत)
↓
धरमा पहाड़िया(जी0)

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 18:06:31 +05:30
Location: 192.168.29.8